Industrial Training Institute

तत्काल / तिथिबद्ध (Through e-mail only)

सेवा में,

1. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0टी0, रोहतक।
2. सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरि0 राज्य में)।
4. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
5. सभी प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टी0टी0सी0 (महिला) (हरि0 राज्य में)।
6. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट टी0टी0सी0 (हरि0 राज्य में)।
7. प्रधानाचार्य, प्राईवेट आई0टी0आई0टी0, (हरि0 राज्य में)।

यादि क्रमांकः T-4/ PMS/SC/DBT/ 2018-19/Trg.-I/ 26159

दिनांकः 24.12.18

विषयः– PMS Portal 2018-19 दिनांक 24.12.2018 से 15.02.2019 तक खोलने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 में दाखिल हुए अनुसूचित जाति विमुक्त, घुमन्तू, अर्घ घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृति दिलवाने के लिए Post Matric Scholarship Scheme के अंतर्गत निदेशक, अनूसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा भेजी गई हिदायत व विज्ञापन की प्रति(उक्त विभाग द्वारा अखबारों में विज्ञापन दिया है कि PMS Portal 2018-19 दिनांक 24.12.2018 से 15.02.2019 तक Open कर दिया गया है।) भेजते हुए हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय / प्राईवेट औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये जाते है कि आपके सस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे सभी योग्य लाभपात्र छात्र / छात्राओं के वर्ष 2018–19 के छात्रवृति आवेदन पत्रों को ON-LINE PORTAL www.hryscbcschemes.in पर उक्त निर्धारित अवधी में **Up-load** करवाना सूनिशचित करें।

उक्त के अतिरिक्त विशेष ध्यान दें रैन्युवल केस जो 2nd year (द्वितीय वर्ष के छात्र–छात्राओं) के द्वारा भी छात्रवृति आवेदन पत्र पुनः उक्त पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यदि किसी केस में समस्या हो तो छात्र / छात्रा Mobile No. 6284537637 पर सर्म्पक कर सकते है।

नोटः– यदि कोई भी प्रधानाचार्य / संस्थान का मुखिया उक्त हिदायतों के अनुसार छात्रवृति आवेदन पत्रों के दस्तावेजों को निर्धारित अवधी में अपलोड नहीं करवाता तो इसके लिए उस संस्थान का कार्यालय अमला तथा संस्थान का मुखिया छात्र–छात्रा की छात्रवृति न मिलने के स्वयं दोषी होंगे और छात्र–छात्रा की छात्रवृति की अदायगी उन द्वारा ही की जाएगी।

संलग्नः हिदायत / विज्ञापन की प्रति।

Manoj Saini 24/12/18

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक T-4/ PMS/SC/DBT/ 2018-19/Trg.-I/ 26160 दिनांकः 24.12.18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है।

1. निदेशक, अनूसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक 39093–97 दिनांक 20.12.2018 के संदर्भ में।
2. Joint Director Acct./ Central DDO/PMS HQ.
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण–4)। प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त निदेशक (योजना)।
5. नोडल अधिकारी वैबसाईट। विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Manoj Saini 24/12/18

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

CC:

PA to DGSD&IT.

SKILL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
IP-2, Sector 3, Near Majri Chowk, Panchkula
e-mail: adtmanojsaini@gmail.com

2526 ADT-I
20/12/18

ADT-I(O.L)
DST

From

Director General,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department, Haryana, Chandigarh.

To

1. Director General,
   Technical Education Department, Haryana, Panchkula.
2. Director,
   Higher Education Department, Haryana, Panchkula.
3. Director,
   Secondary Education, Haryana, Panchkula.
4. Director,
   Skill Development and Industrial Training Department,
   Haryana, Panchkula.
5. Director,
   Medical Education and Research, Haryana, Panchkula

No.Edu-1/2018/39093-97 Dated: 20.12.18

Sub:- **Regarding Post Matric Scholarship scheme for the Academic Year 2018-19.**

Kindly refer to the subject cited above.

Copy of the advertisement for opening of PMS Portal from 24.12.2018 to 15.02.2019 is published in the newspapers. You are therefore, requested to make necessary arrangements so that every eligible student can apply ON-LINE for scholarship well in time on PORTAL **www.hryscbcschemes.in** for the Academic Session 2018-19. In case of any hardship in applying students can contact at Mobile No. 6284537637.

(Rajender Singh Sangwan)
Deputy Director (Trg.)
for Director General, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No.Edu-1/2018/ Dated.

A copy of the above is forwarded to:-

1. Registrars of all Universities in Haryana State for information and necessary action.
2. All the District Welfare Officers are requested to make wide publicity of the scheme/ advertisement and will ensure to send the recommendations as the applications are received without waiting of the last date.

(Rajender Singh Sangwan)
Deputy Director (Trg.)
for Director General, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department,
Haryana, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के ध्यानार्थ

घर से ही भरें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 2.50 लाख रुपये विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जातियों के (इस बारे अलग से प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर) छात्रों हेतु 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो, को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तू तथा टपरीवास जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

प्रतिवर्ष छात्रों से विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में उक्त स्कीमों के अंतर्गत छात्र अपने आवेदनपत्र ऑनलाइन (On-line) ही भर सकते हैं। अतः हरियाणा निवासी सभी छात्रों, जो विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ तकनीकी संस्थानों/ मैडिकल संस्थानों व आई.टी.आई. से डिग्री/डिप्लोमा कर रहे हैं (रैन्यूवल केसों सहित) और स्कीमानुसार छात्रवृत्ति के पात्र हैं, वे छात्र वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र घर बैठे/ऑनलाइन (On-line) भरें। मैनुअली (Manually) भरे गये आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बगैर तुरन्त ऑनलाइन (On-line) फार्म भरें। छात्रवृत्ति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। किसी को अपनी बैंक पास बुक, ए.टी.एम., खाता नम्बर एवं प्रमाणपत्र न दें क्योंकि इनके आधार पर कोई आपके प्रमाणपत्रों का गलत प्रयोग कर सकता है, ऐसे विवाद की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। आवेदन करने से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि आप ने अंतिम रूप से उस संकाय में दाखिला लेने का निर्णय ले लिया है क्योंकि एक से अधिक संकाय में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग-अलग कालेजों से आवेदन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जो छात्र अपना आवेदनपत्र भरना चाहते हैं, वे अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान को दिनांक 15.01.2019 तक पंजीकरण करवाने हेतु कहें। केवल पंजीकृत संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र ही अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु विभागीय वेबसाइट http://www.hryscbcschemes.in पर आवेदन करें। चैक लिस्ट देखना न भूलें। छात्रों को यदि स्वयं आवेदनपत्र भरने/अपलोड करवाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने जिले से संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कागजात सहित सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदनपत्र भरने/अपलोड करने हेतु विभागीय वेबसाइट दिनांक 24.12.2018 से 15.02.2019 तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में आप जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तथा समाधान न होने पर निदेशालय में स्थित हैल्पलाइन नं. 0172-2707009 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

(डा. प्रवीण कुमार, आई.ए.एस.)
महानिदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा।

PRDH-74302

The Tribune Fri, 21 December 2018
https://epaper.tribunei